प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

प्रशा0 आदेश संख्या : 197 / 2020, दिनांक–05.10.2020

आदेश

जिलाधिकारी, सम्भल की ओर से अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0), जनपद सम्भल का पत्र सं0–2052 / एस0टी0 / कोरोना / 2020–21 दिनांकित–05.10.2020 ई–मेल के माध्यम से आज दि0–05.10.2020 को सायंकाल में 07.07 बजे प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में इस आशय की आख्या दी गयी है कि जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी कन्टेनमेन्ट जोन में है तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–2127 / 2020–सी0एक्स0–3, दिनांक– 03.10.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी को सैनेटाईजेशन / निसंक्रमित करने हेतु 24 घण्टे के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिए जाने का सुझाव दिया गया है। पत्र के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल स्थित चन्दौसी द्वारा जिलाधिकारी, सम्भल को प्रेषित पत्र दिनांकित–05.10.2020 की प्रति भी संलग्न की गयी है, जिसमें इस आशय का उल्लेख किया गया है कि जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी में आज दिनांक–05.10.2020 को श्री चन्द्रमणि मिश्र, जो कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, सम्भल स्थित चन्दौसी के पीठासीन अधिकारी हैं तथा श्री कालीचरन, जो कि परिवार न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी के प्रधान न्यायाधीश हैं तथा 08 अन्य कर्मचारीगण, जो कि वर्तमान में जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी में मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में कार्यरत् हैं, को कोविड–19 पॉजिटिव दर्शाया गया है तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–2127 / 2020–सी0एक्स0–3, दिनांक– 03.10.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी को सैनेटाईजेशन / निसंक्रमित करने हेतु 24 घण्टे के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिए जाने का सुझाव दिया गया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03-06-2020 के अनुपालन में कल दिनांक–06.10.2020 को (केवल एक कार्यदिवस हेतु) जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी परिसर पूर्ण सेनेटाईजेशन कराने हेतु बन्द रहेगा तथा दिनांक–06.10.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0–1298/LXXXVII/CPC-e/ Courts/Allahabad/Dated:28 July 2020 में उल्लिखित न्यायालयों द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक प्रकृति का कार्य अपने आवासीय कार्यालय से (JITSI) वीडियो कान्फ्रेंसिंग सोफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए, पूर्व की भाँति सम्पादित किया जायेगा तथा दिनांक–06.10.2020 को नियत अन्य वादों में संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा सामान्य तिथि नियत की जायेगी।

जिलाधिकारी, सम्भल एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल को दिनांक–06.10.2020 को जनपद न्यायालय परिसर की साफ–सफाई व सेनेटाईजेशन हेतु निर्देशित किया जाता है।

सभी सम्बन्धित को अनुपालन हेतु सूचित किया जाये तथा इस आदेश की एक प्रति जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधीकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल
5. अध्यक्ष / सचिव, चन्दौसी, बार एसोसिएशन, चन्दौसी(सम्भल)
6. अध्यक्ष / सचिव, व्यवहार एवं सत्र बार एसोसिएशन, चन्दौसी, जिला सम्भल,
7. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल,
8. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
9. अधीक्षक, जिला कारागार मुरादाबाद।

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

Scanned by CamScanner